



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

2nd Floor, A-Wing, Lok Nayak Bhavan,
Khan Market, New Delhi

SITTING NOTICE

File No.: NCST/ATY-3049/WB/10/2025-RU-II

Dated: 30.04.2026

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, दार्जिलिंग
पुलिस अधीक्षक दार्जिलिंग पोस्ट,
जिला – दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल – 734101

विषय: ऑफिस-इन-चार्ज, नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन, दार्जिलिंग, प. बंगाल द्वारा कार्रवाई न करने संबंधी शिकायत – श्री अशोक एक्का
का दिनांक 17/09/2025 का अभ्यावेदन।

महोदय,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उपर्युक्त प्रकरण की जाँच/अन्वेषण करने का निर्णय अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार लिया है। इस संदर्भ में, श्री निरूपम चाकमा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच/अन्वेषण हेतु आयोग में दिनांक 15.05.2026 को अपराह्न 04:00 बजे आयोग के न्यायालय कक्ष, 6वीं मंजिल, बी-विंग, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003 में बैठक (सिटिंग) निर्धारित की गई है।

2. अतः, आपसे अनुरोध है कि आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से उपर्युक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर माननीय सदस्य के समक्ष प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्य एवं सभी प्रासंगिक अभिलेख/दस्तावेजों सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान दें कि यदि आप उक्त बैठक (सिटिंग) में उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338A की उपधारा (8) के अंतर्गत प्रदत्त दीवानी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय,

(कुशल देव वर्मा / Kushal Dev Verma)

उप सचिव / Deputy Secretary

Tel: 011-24641640

सूचनार्थः

1. श्री अशोक एक्का, साईदाबाद चाय बागान, आम लाइन, पोस्ट – कमला बागान, जिला – दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल – 734426;
मोबाइल नंबर: 9933085812